FORM NO -III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत जिला कलक्टर मुकाम नागौर

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेण्ट
वसन्ती पत्नी श्री प्रकाश जाति ग्राहमण निवासी खींवसर तहसील खींवसर जिला नागौर		राजस्थान सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी नागौर

किस्म मुकदमा रसद अपील संख्या 102 वर्ष 2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
05.06.20	अपीलांट ने यह अपील अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के अधीन जिला रसद अधिकारी नागौर के आदेश कमांक–रसद/अभि./2020/664–668 दिनांक 30.04.2020 के विरूद्व प्रस्तुत की है। अपील के साथ मयाद प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया गया है। अतः अपील ताबेउज्र मियाद दर्ज रजिस्टर हो। रेस्पोडेंट जरिये सम्मन तलब हो तथा अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब होकर पत्रावली दिनांक 29.6.2020 को पेश हो। जिला कलक्टर,नागौर	वसन्ती
29.6.2020	अपीलान्ट बसन्ती उपस्थित। रेस्पोडेन्ट का सम्मन बाद तामील शा0मि0 है। जिला रसद अधिकारी नागौर ने अपने रसद/अभि./2020/1192 दिनांक 29.06.2020 से, उनके द्वारा जारी आदेश कमांक–रसद/अभि./2020/664–668 दिनांक 30.04.2020 से संबंधित विभागीय प्रकरण संख्या 57/2020 राज0 सरकार बनाम बसन्ती में उनके द्वारा आदेश दिनांक 18.06.2020 से विभागीय प्रकरण निर्णित कर दिया जाना अवगत कराते हुऐ अब विषयक अपील में कोई कार्यवाही शेष नहीं रहने से अपील खारिज करने का निवेदन किया है। जिला रसद अधिकारी नागौर द्वारा उक्त पत्र दिनांक 29.06.2020 के साथ आदेश/निर्णय दिनांक 18.06.2020 की प्रमाणित प्रति भी भिजवाई है, जो शा0मि0 हो। अपीलान्ट ने कथन किया कि वह अब इस प्रकरण को आगे चलाना नहीं चाहता है। पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट द्वारा जिला रसद अधिकारी नागौर के उपरोक्तानुसार आदेश दिनांक 30.04.2020 के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है एवं उक्त आदेश से संबंधित विभागीय प्रकरण संख्या 57/2020 राज0 सरकार बनाम बसन्ती में जिला रसद अधिकारी नागौर द्वारा दिनांक 18.06.2020 को निर्णय/आदेश पारित कर दिये जाने से अब इस अपील का कोई औचित्य नहीं रहा है। अपीलान्ट ने भी अब इस प्रकरण को आगे नहीं चलाने का निवेदन किया है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत इस अपील का कोई औचित्य नहीं रहने के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत यह अपील खारिज की जाती है। आदेश सुनाया गया। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी नागौर को पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। (दिनेश कुमार यादव) जिला कलक्टर, नागौर	मैं इस प्रकरण को आगे चलाना नहीं चाहती हूं वसन्ती

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Yadav
Date: 2020.06.30 11:35:54 IST
Reason: SelfAttested